"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 16, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

RAJ BHAVAN, RAIPUR

Raipur, the 22nd November, 2012

No. 6174/7664/2008/RS/U-9.—In continuation to Raj Bhavan Secretariat Notification Nos. 1521/7664/2008/RS/U-9 dated 24-9-2012 the term of the tribunal to submit award is hereby extended further for three month.

The other terms and conditions remain the same.

Sd/-

(Shekhar Dutt)
Governor of Chhattisgarh and
Kuladhipati of State Universities.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2012

क्रमांक ई 7-54/2004/2.—डॉ. रोहित यादव (भा.प्र.से.), संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 24-12-2012 से 06-01-2013 तक (15 दिवस) पितृत्व अवकाश (द्वितीय) स्वीकृत किया जाता है. साथ में दिनांक 23-12-2012 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. यादव आगामी आदेश तक संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. यादव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. ताम्रकार, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2012

क्रमांक 8911/3016/21-ब/छ.ग./2012.—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा-14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा-15 के अंतर्गत नियुक्त विशेष लोक अभियोजक एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4 (1) के अनुसार नियुक्त विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता पैनल में सम्मिलित अधिवक्ताओं के फीस भुगतान हेतु इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 7492/2653/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 18-09-2012 में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

संशोधन

उक्त आदेश की पृष्ठ क्रमांक 2 की प्रथम अंतिम पंक्ति "इस संबंध में होने वाला व्यय" मांग संख्या-29-न्याय प्रशासन-2014-न्याय प्रशासन (114) कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता-3572/मुफस्सिल स्थापना-010-व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिए अदायगियां-008-शासकीय अभिभाषकों के फीस" के स्थान पर "मांग संख्या 64-2014-न्याय प्रशासन 103-विशेष न्यायालय, 0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना, 5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना, 10 व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों के फीस" पढ़ा जावे.

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2012

क्रमांक डी. 9082/21-अ/स्था./छ.ग./12.—छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग के अवर सचिव श्रीमति बिबियाना कुजूर को उप सचिव के पद, वेतनमान रुपये 15600-39000+ग्रेड पे 7600 में स्थानापन्न रूप में, पदोन्नत कर उनके द्वारा पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, नियुक्त किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि इस पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

पदोन्नत अधिकारी वर्तमान में जिस शाखा में जिस प्रभार पर कार्यरत है उसी शाखा का सम्पूर्ण कार्य आगामी आदेश पर्यन्त पूर्ववत् देखेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2012

क्रमांक/एफ-19-6/25-2/2012/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित निगम की उपविधि क्रमांक 25 के प्रावधान अनुसार श्री जे. सी. मेश्राम, सेवानिवृत्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी राजनांदगांव को पदभार ग्रहण की तिथि से, छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, रायपुर का उपाध्यक्ष नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 10-23/2012/16.—बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का क्रमांक 61) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा "बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह" हेतु राज्य के विभिन्न जिलों में गठित दल के प्रत्येक सदस्य को, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए निरीक्षक नियुक्त करता है.

No. F 10-23/2012/16.—In exercise of powers conferred by Section 17 of Child Labour (Prohibition & Ragulation) Act, 1986 (No. 61 of 1986) the State Government hereby appoints each member of the survey team constituted by the Collector in various district for the purpose of "Child Labour Abolition Week" in the state to be the inspector for the purpose of the said Act.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन कुमार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 10-24/2012/16.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 11-6/श्र.स.प./16/2004, दिनांक 07-11-2005 को अतिक्रमित करते हुए, छत्तीसगढ़ श्रम सलाहकार पर्षद, के गठन, कार्यप्रणाली एवं नियमन संबंधी नियमों के अधीन राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार छत्तीसगढ़ श्रम सलाहकार पर्षद् गठन करता है :—

1. **पदेन सदस्य :—**

1.	माननीय श्रम मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2.	सचिव/श्रमायुक्त	सदस्य/सचिव
3.	सचिव, स्थानीय संस्थाएं नगरीय निकाय	सदस्य
4.	आयुक्त, गृह निर्माण मंडल	सदस्य
5.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय)	सदस्य

2. **नियोजकों के प्रतिनिधि :—**

1. श्री रमेश मोदी, आका टेक्सटाइल, पंडरी, रायपुर
2. श्री बहादुर अली, एबीस डेयरी, राजनांदगांव
3. श्री ओमप्रकाश मदान, शिव स्नैक्स कोलर, अभनपुर
4. श्री अनिल जगवानी, मंजरोड नवापारा, राजिम
5. श्री सुरेश एच. लाल, राजनांदगांव
6. श्री शैलेन्द्र बाफना द्वारा प्रेमराज संतोष कुमार बाफना, जगदलपुर
7. श्री राजेन्द्र अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, चेम्बर ऑफ कामर्स, रायगढ़
8. श्री प्रयागराज साहू, अम्बिकापुर

3. **श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि :—**

1. श्री जयंत बहिरदार, रायगढ़
2. श्री संजय सिंह, इंटक, राष्ट्रीय सचिव, क्वा.-सी-05/28, प्रकाश पुंज, प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड कैम्पस चांपा-जांजगीर
3. श्री समारूदास साहू, श्रमिक नेता, सेक्टर-10, भिलाई, जिला दुर्ग
4. डॉ. पी. एल. साहू, सेक्टर-2, भिलाई नगर, जिला दुर्ग
5. श्री साधुराम विश्वकर्मा, किसानपारा, गोबरानवापारा, रायपुर
6. श्री राधेश्याम जायसवाल, प्रदेश महामंत्री, बी.एम.एस., सी.एस.ई.बी., कोरबा
7. श्री पालम राठिया, बी.एम.एस. कोरबा
8. श्री श्रीनारायण तिवारी, अज्ञेय नगर, बिलासपुर

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 10-25/2012/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा संविदा श्रमिक (नियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 की धारा (4) सहपठित छत्तीसगढ़ संविदा श्रमिक (नियमन एवं समाप्ति) नियम, 1973 के नियम (3) के उपबंधों के अनुसार प्रदेश में निम्नानुसार संविदा श्रमिक राज्य सलाहकार मंडल का गठन करता है :—

(एक)	अध्यक्ष	—	माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन
(दो)	पदेन सचिव	—	सचिव/श्रमायुक्त
(तीन)	सदस्य	—	(सार्वजनिक उपक्रम का 1 अधिकारी) प्रबंध निदेशक, छ.ग. राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, डंगनिया रायपुर.
(चार)	नियोजकों के प्रतिनिधि :—	04 सदस्य	
1.	पॉवर	—	श्री कमल सारडा, सारडा एनर्जी एण्ड पावर प्रा.लि. औद्योगिक क्षेत्र रायपुर
2.	टेक्सटाइल	—	श्री बी. एल. जैन, पता-एस.बी.टी. टेक्सटाइल, उरला, रायपुर

3.	बीड़ी उद्योग	—	श्री विपिन भाई पटेल, शाह एण्ड कंपनी, मेन रोड, धमतरी
4.	सीमेंट	—	श्री गोपाल टावरी, रायपुर ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज कार्पो., कार्या.-204, राधेश्याम टॉवर, चौबे कालोनी, रायपुर.

(पांच) श्रमिकों के प्रतिनिधि :— 05 सदस्य

1.	टेक्सटाईल	—	श्री श्रीकांत सिंह, मिल पारा, राजनांदगांव
2.	बीड़ी	—	श्री दुर्गा प्रसाद गौतम, पारागांव, नवापारा, रायपुर
3.	ठेका प्रतिनिधि	—	श्री सहदेव साहू, श्रमिक नेता, दल्लीराजहरा, जिला बालोद
4.	ठेका प्रतिनिधि	—	श्री छतराम गिलहरे, कुर्रा, नवापारा, राजिम, रायपुर
5.	सार्वजनिक उपक्रम	—	श्री पी. आर. कलिहारी, सी.-पॉकेट, 8 ए, मरौदा सेक्टर भिलाई नगर, जिला-दुर्ग.

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 1-59/2007/16.—प्रदेश में बाल श्रमिक तथा बंधक श्रमिकों के पहचान/कल्याण/पुनर्वास करने के उद्देश्य से "राज्य स्तरीय बंधक व बाल श्रमिक प्राधिकार समिति" का निम्नानुसार गठन किया जाता है :—

(1)	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़	अध्यक्ष
(2)	अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग	सदस्य
(3)	अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग	सदस्य
(5)	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विभाग	सदस्य
(6)	कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
(7)	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग	सदस्य
(8)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
(9)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य
(10)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
(11)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	सदस्य
(12)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	सदस्य
(13)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि विभाग	सदस्य
(14)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनशक्ति नियोजन विभाग	सदस्य
(15)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग	सदस्य
(16)	कल्याण आयुक्त, केन्द्रीय, जबलपुर	सदस्य
(17)	यूनिसेफ, छत्तीसगढ़ के प्रमुख	सदस्य
(18)	तीन स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि	सदस्य
	1. श्री मोहन चोपड़ा, अध्यक्ष, छ.ग. राज्य बाल कल्याण परिषद्	
	2. श्री कृष्ण प्रसाद सिन्हा, अध्यक्ष, जागृति सेवा संस्थान, उरला अभनपुर, जिला रायपुर	
	3. सुश्री यादव, अध्यक्ष, सहायता महिला मण्डल, आनंद नगर, रायपुर	
(19)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग/श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर	सदस्य सचिव

2. समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, परन्तु राज्य शासन किसी भी अशासकीय सदस्य को, अवधि पूरा होने के पूर्व जनहित में समिति से पृथक कर सकेगा.

3. समिति प्रदेश में बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 एवं बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के प्रभावी प्रवर्तन व पुनर्वास का पर्यवेक्षण करेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2012

क्रमांक-एफ 7-39/2012/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए फरसगांव, निवेश क्षेत्र, जिला कोण्डागांव का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई हैं :—

अनुसूची

फरसगांव निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम मांझीआठगांव, चिचाडी एवं बानगांव ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम बानगांव, कोटवेल एवं बरकई ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम बरकई, पाण्डेआठगांव, गट्टीपलना एवं कार्राबडगांव ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम कार्राबडगांव, पतोडा एवं माझीआठगांव ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 7-31/2009/12.—यतः, भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा अधिसूचना क्रमांक 2109/1750/2001, दिनांक 17 सितम्बर, 2002 जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 4 छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर एवं दन्तेवाड़ा जिले के अनुसूचित क्षेत्रों में उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अपवादों एवं उपांतरणों के साथ लागू होगी ;

और यतः, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का मत है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि जिसके कारण अधिसूचना क्रमांक 2109/1750/2001, दिनांक 17 सितम्बर, 2002 में और संशोधन करना आवश्यक है;

अतएव, भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक 2109/1750/2001, दिनांक 17 सितम्बर, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

(1) अनुसूची के कॉलम (2) में, जहां कहीं भी शब्द "टिन अयस्क" आया हो, के स्थान पर, शब्द "टिन अयस्क, नियोबियम अयस्क एवं टेण्टेलम अयस्क" प्रतिस्थापित किया जाये.

(2) अधिसूचना के कॉलम (2) के पैरा (3) के परन्तुक में, शब्द "सहकारी समिति जो कि अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत हो" के स्थान पर शब्द "सहकारी समिति जिनमें मात्र स्थानीय अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ही सदस्य हों" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 7-31/2009/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 7-31/2009/12, दिनांक 24-11-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

Raipur, the 24th November 2012

No. F 7-31/2009/12.—Whereas, the Governor of Chhattisgarh in exercise of powers conferred by sub-paragraph (1) of Paragraph 5 of the Fifth Schedule to the Constitution of India, by issuing Notification No. 2109/1750/2001, dated 17th September, 2002 directed that Section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), shall apply to the scheduled areas of Bastar and Dantewada district in the State of Chhattisgarh with the exceptions and modifications specified in the said notification;

And whereas, the Governor of Chhattisgarh is of the opinion that the circumstances exist which render it necessary to amend the Notification No. 2109/1750/2001, dated 17th September, 2002, further;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of Paragraph 5 of the Fifth Schedule to the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in Notification No. 2109/1750/2001, dated 17th September, 2002, namely :—

AMENEMDNT

In the said notification,—

(1) In column (2) of Schedule, for the words "Tin ore" wherever it occurs the words "Tin Ore, Niobium Ore and Tantallium Ore" shall be substituted.

(2) In proviso to para (3) of column (2) of Schedule, for the words "Co-operative Society which belongs to Scheduled Tribes" the words "Co-operative Society in which only local Scheduled Tribe Persons are members" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. D. KUNJAM, Deputy Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्रमांक क/वा./भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	निरई	0.93	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, रायपुर.	मोहेरा-पंतोरा-गरियाबंद के कि.मी. 3/10 में पैरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल मय पहुंच मार्ग का निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. मण्डावी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 12 नवम्बर 2012

क्रमांक 61/भू-अर्जन/2012 प्र.क्र. 10 अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बलौदाबाजार	नयापारा प.ह.नं. 24	0.364	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	रहटाटोर एनीकट के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 12 नवम्बर 2012

क्रमांक 62/भू-अर्जन/2012 प्र.क्र. 09 अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बलौदाबाजार	मुसवाठोढी प.ह.नं. 24	0.367	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	हरदी एनीकट के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-संचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	लेबड़ा प.ह.नं. 4	0.567	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	पञ्झर देवरी मार्ग पर मांड नदी पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	रानीगुड़ा प.ह.नं. 12	1.405	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	पन्झर देवरी मार्ग पर मांड नदी पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2012

क्रमांक 55/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	1.07	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	यदुनंदन नगर बाढ़ नियंत्रण योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2012

क्रमांक 56/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	0.69	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	यदुनंदन नगर बाढ़ नियंत्रण योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./4/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	सेरीखेड़ी प. ह. नं. 42	635/2	0.131	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर.	नया रायपुर अंतर्गत 6-लेन एक्सप्रेस-वे निर्माण हेतु.
			699/3	0.150		
			519/7-8	0.220		
			704/10	0.081		
			704/11	0.045		
		योग	05	0.627		

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2012

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./05/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	नकटी प. ह. नं. 42	179/54	0.200	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर.	नया रायपुर अंतर्गत 6-लेन एक्सप्रेस-वे निर्माण हेतु.
			181/6	0.119		
			181/7	0.114		
			181/10	0.119		
			185/5	0.010		
		योग	**05**	**0.562**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 6 नवम्बर 2012

क्रमांक/9081/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	परसाटोला प. ह. नं. 24	2.860	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत परसाटोला माइनर के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 नवम्बर 2012

क्रमांक/9328/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	बगदई प. ह. नं. 15	1.917	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के बगदई डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 नवम्बर 2012

क्रमांक/9329/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	बरसनटोला प. ह. नं. 19	2.819	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के बरसनटोला माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 नवम्बर 2012

क्रमांक/9330/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	आरी प. ह. नं. 19	1.134	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के अमलीडीह माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 नवम्बर 2012

क्रमांक/9331/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	अर्जुनी प. ह. नं. 22	6.468	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के मेढ़ा डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 नवम्बर 2012

क्रमांक/9332/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	मनेरी प. ह. नं. 13	1.273	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के मनेरी सब माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 नवम्बर 2012

क्रमांक/9333/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	गनेरी प. ह. नं. 12	1.101	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के गनेरी सब माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 नवम्बर 2012

क्रमांक/9334/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	बगदई प. ह. नं. 15	3.835	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के बगदई माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 नवम्बर 2012

क्रमांक/9335/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	अमलीडीह प. ह. नं. 19	3.542	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के अमलीडीह माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 21 नवम्बर 2012

क्रमांक/9376/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	चोरहाबंजारी प. ह. नं. 57	1.057	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरियानाला बैराज के चोरहाबंजारी माइनर अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 21 नवम्बर 2012

क्रमांक/9377/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	थैलीटोला प. ह. नं. 24	1.338	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरिया नाला बैराज के थैलीटोला माइनर अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 21 नवम्बर 2012

क्रमांक/9378/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	केरेगांव प. ह. नं. 29	1.173	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरियानाला बैराज के केरेगांव माइनर अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 21 नवम्बर 2012

क्रमांक/9379/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	मोतीपुर प. ह. नं. 28	573.80	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	मोतीपुर लेवल क्रासिंग क्रमांक 461 में रेल्वे अंडरब्रिज (मोतीपुर की ओर) निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 21 नवम्बर 2012

क्रमांक/9380/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	मोतीपुर प. ह. नं. 28	756.76	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	मोतीपुर लेवल क्रासिंग क्रमांक 461 में रेल्वे अंडरब्रिज (ममता नगर की ओर) निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्रमांक/9425/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	गोटाटोला प. ह. नं. 62	0.052	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्रमांक/9426/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	धनगांव प. ह. नं. 63	0.161	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्रमांक/9427/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	चिरचारीकला प. ह. नं. 24	1.409	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

रा.प्र.क्र./01/अ-82/11-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है की उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	बतौली	लैगू	6.668	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-01, अम्बिकापुर.	लैगू व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं उपनहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, राजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

रा.प्र.क्र./02/अ-82/11-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है की उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	बतौली	बटईकेला	2.353	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-01, अम्बिकापुर.	माण्ड व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

रा.प्र.क्र./03/अ-82/11-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है की उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	मैनपाट	पैगा	1.739	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-01, अम्बिकापुर.	मछली व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य नहर एवं उपनहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

रा.प्र.क्र./04/अ-82/11-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है की उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	मैनपाट	असगवां	11.160	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-01, अम्बिकापुर.	मछली व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य नहर एवं उपनहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

रा.प्र.क्र./01/अ-82/12-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है की उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	धरमपुर	4.387	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-01, अम्बिकापुर.	ग्राम बेलजोरा जलाशय योजना अंतर्गत मुख्य नहर एवं उपनहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

रा.प्र.क्र./02/अ-82/12-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है की उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	धरमपुर	0.569	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-01, अम्बिकापुर.	ग्राम बेलजोरा जलाशय योजना अंतर्गत उपनहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

रा.प्र.क्र./03/अ-82/12-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के ख़ाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है की उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	बेलजोरा	0.245	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-01, अम्बिकापुर.	ग्राम बेलजोरा जलाशय योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 25 अक्टूबर 2012

रा.प्र.क्र./04/अ-82/12-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है की उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	बेलजोरा	32.382	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-01, अम्बिकापुर.	ग्राम बेलजोरा जलाशय योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 12 नवम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-कसडोल
- (ग) नगर/ग्राम-झबड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.800 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
575/3	0.097
913/1	0.227
575/4	0.093
682/1, 683/1	0.089
582/2ख	0.162
619/2	0.081
620/6	0.081
621	0.081
622/1	0.016
627/1	0.032
627/2	0.032
627/3	0.032
628/2	0.024
644	0.045
645/1	0.055
645/2	0.048
645/5	0.011
645/6	0.007
879/2	0.016
653/1, 653/2	0.032
653/3	0.014
653/5	0.043
653/4	0.061
666/2	0.036
666/3	0.036
666/4	0.020
666/5	0.016
668/3	0.049
668/4	0.024
668/5	0.024
689/5	0.020
689/7	0.019
689/8	0.019
689/9	0.019
755	0.004
764	0.008
765	0.012
767/3	0.028
767/5	0.045
768	0.024
769	0.121
771/1	0.008
833/2	0.004
911	0.004
834	0.040
835/1	0.016
835/2	0.016
835/3	0.016
835/4	0.013
836/1	0.029
836/2	0.010
865	0.016
836/3	0.006
837/1	0.040
861	0.053
862	0.021
864	0.028
866	0.036
875/2	0.040
867	0.045
868	0.008
869/1	0.004
878/1	0.071
878/2	0.071
888/1	0.061
890	0.040
896/1	0.040
897	0.020

	(1)	(2)
	898	0.020
	899	0.024
	914	0.097
योग	71	2.800

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- कटगी, बैजनाथ, मड़कड़ा मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-बरतोरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-28.57 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
553	0.20
554	0.26
551/1	0.39
555/2	0.57
666/2	0.19
666/1	0.25
664	0.12
701	0.14
667	0.18
1003	0.21
1343	0.15
663	0.27
704	0.43
705	0.38
893	0.07
892	0.19
886	0.04
1223	0.32
887	0.05
888	0.19
883	0.09
905/2	0.11
906	0.13
907	0.02
909	0.15
994	0.05
1042	0.10
1041/1	0.08
1000	0.07
1001	0.07
1004	0.16
1002	0.01
1008	0.11
992/1	0.01
992/2	0.10
991	0.13
1015	0.11
989	0.04
987/1	0.03
988	0.13
987/2	0.11
1090, 1091	0.26
1086/1	0.04
1089	0.11
1088/2	0.47
1088/1	0.01
1141	0.18
1139	0.25
1138	0.02

(1)	(2)	(1)	(2)
1136	0.05	852	0.19
1135	0.05	2475	0.09
1137	0.13	2461/1	0.26
1226	0.08	2460	0.09
1228	0.32	2385	0.03
1276/1	0.66	2445	0.02
1933/3	0.13	2446	0.18
1283	0.07	2447/1	0.06
1279/1	0.51	2447/2	0.17
1278	0.12	2448	0.02
1337	0.27	2422	0.19
1339/2	0.30	2449	0.01
1338/2	0.30	2418	0.11
1344	0.13	2400	0.11
1345	0.30	2389	0.09
2110	0.22	2420	0.09
2108	0.08	2399	0.09
2107	0.37	2390	0.18
1346	0.02	2387/1	0.03
1920/1ग	0.02	2386	0.22
1937	0.10	2374	0.13
1936	0.40	2371	0.11
1225	0.16	2359	0.15
1935	0.40	2344	0.18
1933/5	0.42	2342	0.17
1933/4	0.56	2740/3	0.01
1932	0.02	2346	0.04
703	0.26	2341/1क	0.25
1920/1ख	0.23	2341/1ग	0.04
1930	0.07	2340	0.11
992/1	0.08	2339	0.11
993	0.04	2337	0.21
978	0.20	2336	0.01
929	0.09	2323	0.11
948	0.04	2331/2	0.15
947	0.12	2328	0.04
972	0.13	2327	0.14
971	0.02	2324	0.01
960	0.10	2726	0.53
961/2	0.02	2320	0.14
957	0.13	2319	0.01
945	0.15	2318/3	0.14
926	0.06	2314	0.09
930	0.21	2313	0.12
854	0.15	2732	0.14
931	0.05	2720	0.19
855	0.01	2717/1	0.01

(1)	(2)
2721	0.30
2722/2	0.08
2723	0.16
2724	0.06
2714/2	0.11
2725/4	0.17
2731/1	0.19
2820/5	0.01
2820/1	0.09
2820/4	0.08
2820/3	0.08
2820/2	0.16
1138	0.08
1133	0.11
1132	0.08
1126	0.07
1131/1	0.12
1129	0.05
1130	0.05
1125	0.09
1123	0.12
1235/3	0.14
1252	0.12
1237/2	0.13
1251/1	0.11
2132/2	0.16
2133/1	0.45
2154/2	0.16
2154/4	0.17
2158	0.23
2159/1	0.23
2156	0.02
2164/1	0.13
2165/2	0.21
2166/2	0.25
2168	0.17
2178/2	0.09
2178/3	0.14
2180	0.21
2181/3	0.10
2181/2	0.06
2194/1	0.27
2032	0.18
2030/1	0.24
2033	0.28
2030/2	0.26
2020	0.01
2021	0.07
1139	0.05
योग	28.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना के मोहतरा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-कनेरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.15 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
194	0.20
196	0.44
199/2	0.15
198/1	0.14
228	0.40
229	0.29
230/3	0.18
231	0.35
245	0.25

(1)	(2)
249	0.25
250	0.14
251/6	0.17
251/1	0.20
251/4	0.20
254/1	0.05
252	0.15
253/1	0.29
253/2	0.04
262	0.06
263	0.10
264	0.10
योग	4.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना के मोहतरा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 34/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बाम्हू
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.25 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1387, 1389	0.25
योग	1	0.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सीपत बेलतरा मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 6 नवम्बर 2012

क्रमांक/9087/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-केसला, प.ह.नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.940 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
52/1	0.008
51	0.498
49/2	0.004

(1)	(2)
49/9	0.012
49/8	0.036
49/28	0.085
49/5	0.008
49/3	0.134
49/19	0.134
252/4	0.089
251	0.194
244/2	0.028
256	0.016
709/1	0.089
709/6	0.093
709/5	0.053
709/3	0.125
709/2	0.113
640	0.117
642	0.004
639/2	0.036
639/1	0.040
638/4	0.045
607	0.065
650	0.004
610	0.194
653	0.008
638/2	0.008
632/1	0.109
637	0.028
633	0.446
632/2	0.024
617/2	0.012
613/1	0.032
613/2	0.218
609-614/2	0.137
609-614/3	0.061
609-614/1	0.079
252/1	0.081
716/8	0.210
49/20	0.008
49/18	0.093
49/21	0.105
641	0.045
654	0.012
योग 45	3.940

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के केसला माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 नवम्बर 2012

क्रमांक/9088/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-बीजाभांठा, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.047 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
284/1	0.028
283/4	0.117
283/2	0.016
283/1	0.032
466	0.178
478/1	0.210
478/2	0.073
479	0.081
721/2	0.109
722	0.041
480/1	0.073
481	0.274

(1)	(2)
485/2	0.089
510/1	0.020
482/2	0.008
482/4	0.117
502/1	0.089
486/3	0.020
486/1	0.105
485/1	0.182
488/2	0.008
510/2	0.101
510/3	0.246
511/1	0.020
512/2	0.012
508	0.129
509/3	0.045
500	0.016
503/1	0.073
507	0.125
501/1	0.053
732/3	0.101
503/2	0.036
719	0.093
504	0.129
718/1	0.008
718/2	0.162
720/1	0.065
725	0.190
727	0.125
728	0.129
731/2	0.117
465/1	0.202
योग 43	4.047

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के बरसनटोला डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 नवम्बर 2012

क्रमांक/9089/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-तुमड़ीबोड़, प.ह.नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.499 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
605/20	0.049
605/3	0.032
515/7	0.061
616/1	0.349
515/5	0.008
योग 05	0.499

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के अंतर्गत मुख्य नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, ज़िला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 9 नवम्बर 2012

क्रमांक क/भू-अर्जन/02/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कस्तूरी, प. ह. नं. 29 (चोकाबाड़ा)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.17 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	304	0.08
	310	0.09
योग	2	0.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-भालूगुड़ा उद्वहन सिंचाई योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 नवम्बर 2012

क्रमांक 04 क/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-बलौदा
- (ग) नगर/ग्राम-औराईकला, प. ह. नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-30.35 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
215/1	0.10
228/1/1	0.15
231/2/1, 244/2/1	0.07
245/1/1	0.84
248/3	0.36
797/1ख/1	1.17
797/1ख/2	1.17
797/1ख/3	1.16
960/1	1.20
797/1ग	0.48
797/1घ	0.65
961/1क्ष	1.32
961/1ख	1.11
961/1द	0.55
961/1ध	0.40
961/1न	0.58
961/1प	0.89
961/1फ	1.03
961/1ब	1.20

(1)	(2)
961/1भ	1.20
961/1म	1.11
961/1य	1.32
961/1र	2.55
961/1ल	1.71
961/1व	1.91
961/1श	1.47
961/1स	2.97
961/1ह	1.68
योग 28	30.35

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-2×500 मेगावाट मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत राखड़ बांध निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

दन्तेवाड़ा, दिनांक 5 नवम्बर 2012

क्रमांक/783A.—बंधक श्रमिक (उत्सादन) अधिनियम 1976 (1976 का संख्यांक 19 में) की धारा 13 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं ओमप्रकाश चौधरी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा एतद्द्वारा दन्तेवाड़ा अनुभाग में बंधक श्रमिकों के विमुक्ति पुनर्वास एवं अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन के प्रयोजन हेतु, अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति का गठन करता हूं, जिसमें निम्न सदस्य होंगे :—

उपधारा (अ)

श्री एस. के. ठाकुर तहसीलदार दन्तेवाड़ा — अध्यक्ष
(अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा मनोनीत)

उपधारा (ब)

(1) श्री दीपक कर्मा, अध्यक्ष नगर पंचायत दन्तेवाड़ा — सदस्य
(2) श्रीमती सुलोचन वट्टी, जिला पंचायत दन्तेवाड़ा — सदस्य
(3) श्री बरखू प्रसाद, कैलाश नगर दन्तेवाड़ा — सदस्य
(अनुभाग में निवासरत अनुसूचित जाति/जनजाति के, अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि)

उपधारा (स)

(1) श्री रामसिंह नाग, ग्राम व पोस्ट मैलावाड़ा तहसील कुआकोण्डा — सदस्य
(2) श्रीमती सरिता उईके, रेल्वे क्रासिंग के पास दन्तेवाड़ा — सदस्य
(अनुभाग में निवासरत दो समाज सेवक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि)

उपधारा (द)

(1)	श्री बी. एस. कोर्चे, अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दन्तेवाड़ा	सदस्य
(2)	श्री व्ही. एस. चंदन, अनुविभागीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी दन्तेवाड़ा	सदस्य
(3)	श्री राकेश कुमार बेक, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग दन्तेवाड़ा	सदस्य

(शासकीय अथवा अशासकीय संस्थाओं जो ग्रामीण विकास से संबंध रखते हों, या जुड़े हों के प्रतिनिधि जो जिला दण्डाधिकारी द्वारा मनोनीत होगा.)

उपधारा (ई)

(1)	श्री टी. सी. पाणीग्राही, शाखा प्रबंधक, छ.ग. ग्रा. बैंक दन्तेवाड़ा	सदस्य

(जिले के वित्तीय एवं बैंकिग सेवाओं से संबंधित प्रतिनिधि जो अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा मनोनीत हों)

उपधारा (एफ)

(1)	डॉ. आनन्द जी सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दन्तेवाड़ा	सदस्य

ओमप्रकाश चौधरी,
कलेक्टर एवं
जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

डभरा, दिनांक 8 नवम्बर 2012

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 961.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं. 22, तह. डभरा, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम देवरी डुमरपाली, जिला रायगढ़ तक जिसमें प्रभावित ग्राम किरारी में मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड, कोलकाता हाल मुकाम देवरी डुमरपाली रायगढ़ द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी

एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली कुल भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	किरारी/21	1339/1	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	किरारी/21	1347	0.33
जांजगीर-चांपा	डभरा	किरारी/21	1339/2	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	किरारी/21	1338/1	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	किरारी/21	1337/1	0.41
जांजगीर-चांपा	डभरा	किरारी/21	1348/3	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	किरारी/21	1348/1	0.34
जांजगीर-चांपा	डभरा	किरारी/21	1351	0.25
जांजगीर-चांपा	डभरा	किरारी/21	1334/1	0.28
जांजगीर-चांपा	डभरा	किरारी/21	1350	0.02
		कुल योग	10	1.89

डभरा, दिनांक 8 नवम्बर 2012

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 963.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं. 22, तह. डभरा, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम देवरी डुमरपाली, जिला रायगढ़ तक जिसमें प्रभावित ग्राम खरकेना में मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड, कोलकाता हाल मुकाम देवरी डुमरपाली रायगढ़ द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी

एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली कुल भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	खरकेना/20	508/8	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	खरकेना/20	898/2	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	खरकेना/20	508/4	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	खरकेना/20	499	0.07
जांजगीर-चांपा	डभरा	खरकेना/20	508/1	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	खरकेना/20	508/2	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	खरकेना/20	917/2	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	खरकेना/20	918	0.24
जांजगीर-चांपा	डभरा	खरकेना/20	804	0.38
जांजगीर-चांपा	डभरा	खरकेना/20	803/1	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	खरकेना/20	914/1	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	खरकेना/20	915	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	खरकेना/20	508/3	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	खरकेना/20	508/6	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	खरकेना/20	508/7	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	खरकेना/20	500	0.17
जांजगीर-चांपा	डभरा	खरकेना/20	498	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	खरकेना/20	501	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	खरकेना/20	898/3	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	खरकेना/20	917/1	0.13
जांजगीर-चांपा	डभरा	खरकेना/20	897/1	0.07
जांजगीर-चांपा	डभरा	खरकेना/20	508/10	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	खरकेना/20	508/9	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	खरकेना/20	916/1	0.07
जांजगीर-चांपा	डभरा	खरकेना/20	508/5	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	खरकेना/20	913	0.22
जांजगीर-चांपा	डभरा	खरकेना/20	897/2	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	खरकेना/20	909	0.27
जांजगीर-चांपा	डभरा	खरकेना/20	898/4	0.05
		कुल योग	**29**	**2.46**

डभरा, दिनांक 8 नवम्बर 2012

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 965.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम सारांडीह, प.ह.नं. 22, तह. डभरा, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम देवरी डुमरपाली, जिला रायगढ़ तक जिसमें प्रभावित ग्राम साल्हे में मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड, कोलकाता हाल मुकाम देवरी डुमरपाली रायगढ़ द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली कुल भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	413	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	495/4	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	507	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	335/2/3/4	0.13
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	15	0.25
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	71/2	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	9/1	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	450/1	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	427/4	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	505/1	0.24
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	494/2	0.17
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	334/2	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	5/2	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	446	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	62	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	427/1	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	6/1	0.48
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	8/1	0.24
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	63	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	72/2	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	66/1	0.03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	66/2	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	68/6	0.18
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	67	0.29
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	5/1	0.29
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	66/3	0.17
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	70/1	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	631	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	337	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	412/1, 411/1	0.07
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	412/2, 411/2	0.07
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	336/344	0.13
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	447	0.17
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	427/6	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	414	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	7/1	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	449/1	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	448	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	427/2	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	455	0.07
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	451/1	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	451/2	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	454	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	453	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	13	0.20
		कुल योग	**45**	**4.99**

डभरा, दिनांक 8 नवम्बर 2012

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 967.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं. 22, तह. डभरा, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम देवरी डुमरपाली, जिला रायगढ़ तक जिसमें प्रभावित ग्राम साराडीह में मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड, कोलकाता हाल मुकाम देवरी डुमरपाली रायगढ़ द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम का नाम/ प. ह. नं. (3)	खसरा नं. (4)	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली कुल भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	76/1	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	76/2	0.14
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	76/3	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	96/5क	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	96/5k	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	96/9	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	96/4	0.20
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	97/5	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	142/1	0.28
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	100	0.07
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	108/1	0.73
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	108/2	0.18
जांजगीर-चांपा	डभरा	[illegible]	[illegible]	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	107/1	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	141/2	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	141/1	0.21
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	147/1, 2	0.20
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	608/1	0.13
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	608/2	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	607	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	600/1	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	605/2	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	605/3	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	605/4	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	604/3	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	603/2	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	597	0.18
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	598/5	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	598/6	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	599/1	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	599/3	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	581/1	0.17
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	281/2	0.18
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	578/1	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	578/2	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	578/3	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	578/4	0.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	579	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	571	0.43
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	606	0.16
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	599/4	0.04
		कुल योग	**41**	**4.81**

डभरा, दिनांक 8 नवम्बर 2012

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 969.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं. 22, तह. डभरा, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम देवरी डुमरपाली, जिला रायगढ़ तक जिसमें प्रभावित ग्राम जवाली में मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड, कोलकाता हाल मुकाम देवरी डुमरपाली रायगढ़ द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली कुल भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1240	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1237	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1180	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	936/7	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	937/4	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1241/2	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1209	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	936/3	0.19

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1233/1	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1197/1	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1236/1	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1205/4, 1206/1	0.16
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1232/1	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1189	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	936/5	0.20
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1230/3	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1211, 1212	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1008	0.11
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1222/1	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	974/1	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	937/3	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1222/2	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1242	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1223	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1230/1	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1220	0.14
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1241/1	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1153	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1154	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	563	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	571	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	393	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	392	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	204/2	0.21
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	205	0.23
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	77	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	80/2	0.14
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	87/2	0.73
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1006/1	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1183, 1184, 1185	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1188/2	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1194	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1196/2	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1166	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1167/1	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1021/1	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	570/2	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1175/1, 1175/2KH	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1175/2k, 1175/3	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1149	0.45
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1150/1	0.07
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1018	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	936/4	0.17
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	974/2	0.15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	937/5	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	937/1	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	383	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	82, 83	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	194/2	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1150/2	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	574/1	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	202/1	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1151/2kh	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1151/2k	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	574/2	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1155	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1006/2	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1156	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1157	0.16
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1017/1	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1021/2	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	548/1	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	936/1	0.18
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	936/2	0.18
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	548/2	0.13
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	936/6	0.19
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	400	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	391	0.07
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	401/4	0.23
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	937/2	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	933/1	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	933/2	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	477	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	542, 543, 544	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	555	0.29
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	545	0.13
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	546	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	547	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	399	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	194/2, 194/3	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	556/1	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	556/2	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	561	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	570/3	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	500/2, 572/2	0.17
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	78	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	401/2, 402/1	0.25
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	384/2	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	385	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	384/3	0.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	914/6	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	914/1	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	204/1	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	195/1	0.20
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	140/1	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	203/1	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	202/2	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1017/2	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	203/2	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	197/1	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	197/2	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	192/1, 194/1	0.11
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	196/2	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	195/2	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	195/3	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	195/4	0.07
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	140/7	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	129	0.11
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	84	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	379	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	140/8	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	476/1	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	139	0.24
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	137	0.11
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	116/1	0.16
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	116/2	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	117/1	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	117/2	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	113/2	0.16
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	115	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	121	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	113/1	0.07
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	122	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	110/1	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	110/2	0.24
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	73	0.13
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	74	0.24
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	75/1	0.11
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	75/2	0.11
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	79	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	87/3	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	118	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	114	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	386/2	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	80/1	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	565, 566	0.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	914/2	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	979/1	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1174	0.11
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1171	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1231	0.07
		कुल योग	**153**	**14.88**

डभरा, दिनांक 8 नवम्बर 2012

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 971.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं. 22, तह. डभरा, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम देवरी डुमरपाली, जिला रायगढ़ तक जिसमें प्रभावित ग्राम रेड़ा में मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड, कोलकाता हाल मुकाम देवरी डुमरपाली रायगढ़ द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली कुल भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1215/2	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	639/1	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1334	0.22
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1098/4	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1189	0.18
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1191/3	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1341/1	0.08

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1342	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	638/2	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1344/1	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1004/1	0.21
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1092/1	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1332/1	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1351/1	0.11
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1186	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1187	0.13
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	637/1	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	637/2	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	637/3	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1351/2	0.57
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1352/2	0.27
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1091/2	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1090	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1011/1	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1353/1	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1071/9	0.22
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1098/1	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1010/1	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1109/1	0.35
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1008	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1344/2	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1345	0.07
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1098/2	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1009	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1192	0.21
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1343	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1333/1	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1205/4	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1215/1	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1215/3	0.11
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1091/1	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1335	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1092/2	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1088, 1089	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1204	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1202	0.26
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1352/1	0.19
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1107/2	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1337	0.38
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1298, 1294	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1003	0.21
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1300/1	0.09

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1000/11	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1336/1	0.37
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	637/4	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1339	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20,	1203/1K	0.14
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1297	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1191/2	0.23
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1109/3	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1110, 1109/4	0.40
		कुल योग	**61**	**7.07**

डभरा, दिनांक 8 नवम्बर 2012

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 973.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं. 22, तह. डभरा, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम देवरी डुमरपाली, जिला रायगढ़ तक जिसमें प्रभावित ग्राम खैरा में मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड, कोलकाता हाल मुकाम देवरी डुमरपाली रायगढ़ द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम का नाम/ प. ह. नं. (3)	खसरा नं. (4)	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली कुल भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैरा/18	194/1	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैरा/18	266/1	0.11
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैरा/18	258	0.23

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैरा/18	58	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैरा/18	251	0.31
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैरा/18	265/2	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैरा/18	194/2	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैरा/18	190/1	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैरा/18	247/2	0.16
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैरा/18	245/2	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैरा/18	189	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैरा/18	192/1, 193/2	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैरा/18	770	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैरा/18	196	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैरा/18	244/1	0.18
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैरा/18	247/1	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैरा/18	266/2	0.16
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैरा/18	257	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैरा/18	183/3	0.84
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैरा/18	252	0.13
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैरा/18	248	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैरा/18	191	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैरा/18	193/1, 192/2	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैरा/18	195/2	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैरा/18	[illegible]	[illegible]
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैरा/18	188/1	0.14
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैरा/18	259	0.11
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैरा/18	59	0.26
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैरा/18	55/3	0.07
		कुल योग	**29**	**4.13**

डभरा, दिनांक 8 नवम्बर 2012

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 975.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं. 22, तह. डभरा, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम देवरी डुमरपाली, जिला रायगढ़ तक जिसमें प्रभावित ग्राम गिरगिरा में मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड, कोलकाता हाल मुकाम देवरी डुमरपाली रायगढ़ द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली कुल भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	226/1, 228/1	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	225/2	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	13/1	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	234/3	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	325/1	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	4	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	325/2	0.17
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	181/3	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	155	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	139/2, 140/2	0.26
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	138/1	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	154	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	233/2	0.20
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	157/1	0.13
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	3	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	198/1, 231/1	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	157/2	0.11
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	156/2	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	181/4	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	224/1	0.16
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	180	0.16
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	8/15	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	12/3	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	150/3	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	317	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	198/2, 231/2	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	159/1	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	159/2	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	8/12	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	158/2	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	228/2, 226/2	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	8/3kh	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	181/1	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	12/2	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	150/1	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	13/2	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	10/1	0.03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	10/3	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	230/2	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	250/2	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	233/1	0.29
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	2	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	10/2	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	8/9	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	8/8	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	157/3	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	8/3	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	8/13	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	14/1	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	158/1	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	178	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	325/3	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	14/2	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	152	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	153	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	234/1	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	234/2	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	181/2, 136, 137, 182	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	234/4	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	165	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा/18	140/1	0.15
		कुल योग	**61**	**4.47**

डभरा, दिनांक 8 नवम्बर 2012

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 977.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम providसाराडीह, प.ह.नं. 22, तह. डभरा, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम देवरी डुमरपाली, जिला रायगढ़ तक जिसमें प्रभावित ग्राम भजपुर में मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड, कोलकाता हाल मुकाम देवरी डुमरपाली रायगढ़ द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली कुल भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	109/2	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	112	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	105/1	0.17
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	512/1	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	106	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	401	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	479	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	482 से 484	0.30
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	75/2	0.17
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	75/3	0.21
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	522/2, 535/1	0.11
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	467	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	67/2	0.34
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	521/6	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	405/26	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	398/2	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	523/2	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	525/2	0.29
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	67/1	0.17
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	406/5	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	516/1	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	77/5, 79/2	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	405/17	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	396, 397	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	521/1क	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	415/1, 2	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	406/4	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	109/1	0.17
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	104/2	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	516/4	0.23
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	516/8	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	516/5	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	406/8	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	416	0.25
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	485 से 488	0.16
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	524/2	0.21
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	405/23	0.05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	405/3, 405/6	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	405/4	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/24	85	0.11
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	464	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	106/1	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	521/9	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	405/14	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	528/7	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	524/1	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	518/6	0.25
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	428/1	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	528/4	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	528/3	0.22
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	528/6	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	526/1	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	398/1	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	425/2	0.27
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	428/2	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	83	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	425/1	0.35
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	110/1	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	519/1, 519/2	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	520/2	0.11
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	108	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	84	0.13
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	78/2	0.11
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	113	0.18
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	399	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	523/1	0.18
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	520/1	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	105/2	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	526/2	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	69/1	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	86	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	405/21	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	405/15	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	517	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	405/7	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	66	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	518/8	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	405/28	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	521/7	0.03
		कुल योग	**81**	**8.09**

डभरा, दिनांक 8 नवम्बर 2012

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 979.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं. 22, तह. डभरा, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम देवरी डुमरपाली, जिला रायगढ़ तक जिसमें प्रभावित ग्राम बघनीपाली में मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड, कोलकाता हाल मुकाम देवरी डुमरपाली रायगढ़ द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली कुल भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	72/1	0.13
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	63/5	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	129	0.20
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	107	0.30
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	79	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	224	0.17
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	222	0.29
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	66/2	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	68/1	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	123/2	0.18
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	67/1D	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	80	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	73/3	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	105/1	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	225	0.20
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	127/1	0.34
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	127/3	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	223	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	63/1	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	62/1	0.03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	105/2	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	123/1	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	105/4	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	128/1	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	63/2	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	68/2	0.07
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	68/3	0.07
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	227	0.81
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	229	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	237	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	233	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	63/6	0.17
जांजगीर-चांपा	डभरा	बघनीपाली/18	230	0.06
		कुल योग	**33**	**4.14**

कार्तिकेय गोयल,
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).